मु.नं.–26 / 2020 GCMS ID-2020/00055 ता.रजु–04.08.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

संगीता मीना पत्नि डॉ. दर्शन लाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.09.2020

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की पालना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति के संबंध में कुल 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–जिपक / पीएमएवाई / 2018–19 / 689 दिनांक 17.08.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 600 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी ने अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की है जिसके साथ भी सूचना भिजवाई गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिकार प्रेषित करते हुए यह अंकित किया है कि उन्हें दिनांक 17.08.2020 को सायं 5.00 बजे तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोविड–19 के कारण अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 13.07.2020 के अलावा दिनांक 17.08.2020 को भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा दो बार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
9. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
10. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
13. निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:47:27 IST
Reason: SelfAttested